न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व रायसिंहनगर
पीठासीन अधिकारीः– अर्पिता सोनी, आर.ए.एस.

रिमाण्ड प्र.सं. 04 / 2019
प्र.सं.– 42 / 2017
जी.सी.एम.एस. : 2019 / 00297

1. कालूराम पुत्र ठाकरराम जाति बिश्नोई निवासी सतजण्डा तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर
2. कुलदीप कुमार पुत्र बुधराम जाति बिश्नोई निवासी सतजण्डा तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर
3. हनुमान पुत्र सोहनलाल जाति बिश्नोई निवासी 55 एनपी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

–प्रार्थीगण

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र मनफूलराम जाति बिश्नोई निवासी सतजण्डा तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर
2. कृष्णलाल पुत्र रामरख जाति बिश्नोई निवासी सतजण्डा तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर
3. मदनलाल पुत्र मनफूलराम जाति बिश्नोई निवासी सतजण्डा तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर
4. सुखदेव पुत्र मनीराम जाति बिश्नोई निवासी सतजण्डा तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क आर टी एक्ट

उपस्थितिः–

1. श्री सन्त कुमार बिश्नोई, वकील प्रार्थीगण
2. श्री सतपाल बिश्नोई, वकील अप्रार्थी सं. 1–3–4

–: निर्णय :–

दिनांक :19.01.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आरटीए के तहत प्रस्तुत करने पर इस न्यायालय द्वारा बाद सुनवाई प्रकरण में न्यायालय के निर्णय दिनांक 27.12.2017 के द्वारा " प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि में आने जाने के लिए चक 11 एस ए डी के मु.न. 16 के कि.न. 1 के कॉनर में दो बीस्वा चौड़ा रास्ता वर्तमान डी. एल.सी. दर का दो गुणा राशी पर चालू रास्ता को स्वीकृत किया जाता है। प्रार्थीगण के द्वारा राशी जमा करवाने पर रास्ते का राजस्व अभिलेख में अमल दरामद किया जावे। जमा शुदा राशी का भुगतान अप्रार्थीगण को किया जावे।" के आदेश दिए गये थे। न्यायालय के उक्त आदेश की अपील माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर में करने पर श्रीमान् राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय, श्रीगंगानगर द्वारा अपील सं. 198 / 2017 अनवान ओमप्रकाश बनाम कालूराम आदि अन्तर्गत 225 आर[illegible]य दिनांक 15.07.2019 पारित कर प्रकरण इस न्यायालय को इस आदेश के साथ [illegible] किया कि "उपखण्ड अधिकारी स्वयं मौके का निरीख्क्षण कर सुनि[illegible] आर.टी.एक्ट के तहत चालू रास्ते को खुलवाने का है या धारा [illegible] कायम करने का है। [illegible] आत्यन्तिक आवश्यकता के प्रश्न का निर्धारण करें, पक्ष[illegible]रों की उपस्थिति में मौका [illegible] बनवाकर प्रकरण में विधितः ग्राम पंचायत के जरिये आम सहमति प्राप्त कर मामले को विधिवत रूप से निस्तारित करने की दिशा में कानूनसम्मत निर्णय पारित करें।" मूल रिकार्ड मय निर्णय प्रति प्राप्त होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर पक्षकारान को तलब किया गया एवं तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर से मौका / रिकार्ड जांच रिपोर्ट मंगवाई गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2021.02.02 13:46:04 IST
Reason: SelfAttested

अर्पिता
उपखण्ड अधिकारी राजस्व
रायसिंहनगर

Scanned with CamScanner

तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर से प्राप्त रिपोर्ट क्रमांक राजस्व/2020/997 दिनांक 27.08.2020 के अनुसार "चक 11 एसएडी के मु.न. 7 के कि.नं. 21/1–22/2–23/1–24/2–25/1 प्रत्येक में .051है. कुल 0.255है. गै.मु. रास्ता दर्ज हैं। मु.नं. 16 के कि.नं. 01 में कार्नर पर तिरछा 0.0013है. गै.मु. रास्ता जरिये ई.सं. 311 दिनांक 29.12.2017 स्वीकृत हैं। मु.नं. 16 के कि.नं. 01 में .0013है. गै.मु. राजस्ता स्वीकृत दिनांक 27.12.2017 द्वारा उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर से पूर्व चक 11 एस ए डी के मु.नं. 7 के कि.नं. 21 ता 25 का उपरोक्त वर्णित 4–4 बिस्वा(0.051है.) गै.मु. रास्ता चक 13 एसएडी की मु.नं. 16 के कि.नं. 25 व मु.नं. 17 के कि.नं. 5 के कॉर्नर पर उक्त रास्ता मुताबिक राजस्व रिकार्ड बंद था। चक 13 एसएडी के मु.नं. 17 में मौके पर आबादी बसी हुई है व स्वीकृत शुदा आबादी हैं। इसी आबादी में रहने वाले काश्तकारों के खेत चक 11 एसएडी में पड़ते हैं व इसी रास्ते से चक 11 एसएडी के काश्तकार आबादी से खेतों में आते जाते हैं। दिनांक 27.12.2017 से पूर्व चक 11 एसएडी का उपरोक्त वर्णित रास्ता आबादी से जुडा हुआ नहीं था। उपखण्ड अधिकारी रायसिहनगर द्वारा धारा 251ए के तहत दिनांक 27.12.2017 के निर्णय में मु.नं. 16 के कि.नं. 1 में 0.0013है. गै.मु. कटानी रास्ता स्वीकृत करके आबादी से जोड़ा गया हैं।" प्रकरण में दिनांक 15.01.2021 को पक्षकारान की उपस्थिति में विवादित रास्ता का मौका निरीक्षण किया गया।

बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि न्यायालय द्वारा पूर्व में मु.नं. 16 के कि.नं. 01 में कार्नर पर तिरछा 0.0013है. गै.मु. रास्ता स्वीकृत किया गया था को यथावत रखने हेतु निवेदन किया। वकील अप्रार्थीगण अपनी बहस में कथन किया कि न्यायालय द्वारा उक्त रास्ता स्वीकृत करने से पूर्व चक 11 एस ए डी के मु.नं. 7 के कि.नं. 21 ता 25 का उपरोक्त वर्णित 4–4 बिस्वा(0.051है.) गै.मु. रास्ता चक 13 एसएडी की मु.नं. 16 के कि.नं. 25 व मु.नं. 17 के कि.नं. 5 के कॉर्नर पर कभी चालू नहीं था। प्रार्थीगण द्वारा महज अप्रार्थीगण को परेशान करने की नीयत से प्रार्थना पत्र पेश किया गया हैं। प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज करने हेतु निवेदन किया।

बहस वकील उभयपक्ष पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार उपखण्ड अधिकारी रायसिहनगर द्वारा धारा 251ए के तहत दिनांक 27.12.2017 के निर्णय में मु.नं. 16 के कि.नं. 1 में 0.0013है. गै.मु. कटानी रास्ता स्वीकृत करके आबादी से जोड़ा गया हैं। चक 13 एसएडी के मु.नं. 17 में मौके पर आबादी बसी हुई है व स्वीकृत शुदा आबादी हैं। इसी आबादी में रहने वाले काश्तकारों के खेत चक 11 एसएडी में पड़ते हैं व इसी रास्ते से चक 11 एसएडी के काश्तकार आबादी से खेतों में आते जाते हैं। चूंकि इस न्यायालय द्वारा पूर्व में रास्ता स्वीकृत कर आबादी को प्रार्थीगण के रकबे से जोड़ने के बाद से चक 11 एसएडी के काश्तकारान 13 एसएडी की आबादी से अपनी कृषि भूमि में आवागमन कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाना न्यायोचित्त प्रतीत होता हैं।

श्रीमान् राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय, श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 15.07.2019 के मुताबिक मौका निरीक्षण स्वयं द्वारा उभयपक्ष की उपस्थिति में दिनांक 15.01.2021 को किया गया। अतः निर्णय दिनांक 27.12.2017 द्वारा स्वीकृत 0.013है. गैर मु. रास्ता को यथावत रखा जाता हैं।

निर्णय आज दिनांक 19.01.2021 को मेरे [illegible] लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2021.02.02 13:46:04 IST
Reason: SelfAttested

अर्पिता

(अर्पिता सोनी)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी राजस्व
रायसिंहनगर

Scanned with CamScanner